दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित तिथि : 1 अक्टूबर, 2013
निर्णय तिथि : 24 अक्टूबर, 2013

आप.अ. 640/2001

प्रीतम चौहान .....अपीलार्थी

द्वारा : श्री सुधीर बत्रा, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन. डुडेजा, अति.लो.अभि.।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

न्या. एस.पी. गर्ग

1. प्रीतम चौहान (अपीलार्थी) ने सत्र मामला सं. 28/2000 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 25.08.2001 के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है, जो पुलिस थाना सरिता विहार में दर्ज प्राथमिकी सं. संख्या 221/1999 से उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत उन्हें भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया था और 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल

के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले के अभिलेख से सामने आने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

2. दिनांक 18.05.1999 को लगभग 07.15 बजे मदनपुर खादर के पास प्रीतम चौहान ने सुंदर सिंह को हत्या के प्रयास में चाकू से घायल कर दिया। बालिका विद्यालय, मदनपुर खादर के पास झगड़े के बारे में पुलिस स्टेशन सरिता विहार में शाम 07.45 बजे दैनिक डायरी (डीडी) सं. 43 ख (प्र.अभि.सा.-10/क) दर्ज करने के बाद पुलिस तंत्र हरकत में आया और जांच एसआई परवीन कुमार ने संभाली, जो कांस्टेबल मदन पाल के साथ घटनास्थल पर गए। घायलों को पहले ही होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया था। एसआई परवीन कुमार ने अस्पताल में सुंदर का बयान (प्र.अभि.सा.-3/क) दर्ज किया और उस पर समर्थन (प्र.अभि.सा.-11/क) करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। जांच के दौरान, तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत आरोप-पत्र में प्रीतम चौहान पर विधिवत आरोप लगाए गए और उसे वाद में लाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए 11 गवाहों की जांच की। 313 दं.प्र.सं. बयान में, उसने झूठे आरोप लगाने की दलील दी और बचाव में राजेंद्र सिंह (ब.सा.-1) की जांच की। साक्ष्य की सराहना करने और पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय

ने, अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया। व्यथित होने के कारण, उसने अपील दायर की है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दलील दी कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और अपराध के हथियार की बरामदगी न होने की महत्वपूर्ण परिस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। पीड़ित के शरीर पर लगी चोटें 'खतरनाक' प्रकृति की नहीं थीं और उन्हें बिना किसी आधार के 'गंभीर' बताया गया। भा.दं.सं. की धारा 307 की सामग्री गायब थी। अधिवक्ता ने अपीलार्थी को परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए वैकल्पिक दलील अपनाई क्योंकि उसके पास दो बच्चों का ख्याल रखने वाला परिवार है और जमानत पर रिहा होने से पहले वह 15 दिनों तक अभिरक्षा में रहा था। उन्होंने पीड़ित को उचित मुआवजा देने की पेशकश की। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दलील दी कि पीड़ित के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई चोटें आई थीं और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. मैंने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख की जांच की है। घटना शाम 07.15 बजे घटित होने के बाद, दैनिक डायरी (डीडी) सं. 43 बी (प्र.अभि.सा.-10/क) शाम 07.45 बजे पुलिस स्टेशन सरिता विहार में दर्ज की गई और उप निरीक्षक परवीन कुमार ने बिना किसी देरी के पीड़ित का बयान दर्ज करने के बाद रात 09.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

पहले संस्करण (प्र.अभि.सा.-3/क) में पीड़ित ने ग्राफिक विवरण सुनाया कि कैसे प्रीतम चौहान अपने घर से चाकू लाया और शरीर पर कई चोटें कीं। अभि.सा.-3 के रूप में न्यायालय के बयान में उन्होंने बिना किसी बदलाव या बड़े सुधार के पुलिस को पहले दिए गए संस्करण को साबित कर दिया। उन्होंने घटना की उत्पत्ति का वर्णन किया कि लगभग शाम 07.00 बजे जब वह, उमेश, बबली और पांच-छह लड़के खेतों में क्रिकेट खेलने के बाद अपने-अपने घर आ रहे थे जब उसने बच्चे को गोद में लेकर उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो अपीलार्थी झुंझलाहट में अपने घर से चाकू ले आया और उसकी आंख के पास उसके बाएं गाल पर वार कर दिया। पेट पर चाकू से वार करने की कोशिश को उसके हाथ में मौजूद बैट से नाकाम कर दिया गया। अपीलार्थी ने फिर से उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन वह उसके बाएं हाथ पर लग गया और उसके बाएं पैर, हथेली और उंगलियों पर वार किया गया। अंधाधुंध तरीके से चाकू से कई वार किए जाने से वह बेहोश हो गया और उसे होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने रिपोर्ट दर्ज कराई (प्र.अभि.सा.-3/क)। प्रति परीक्षा में गवाह ने खुलासा किया कि शम्मी वह बच्चा था जिसे उसने बचाया था। उसने रविंदर और परसा पंडित के कहने पर झूठा बयान देने से इनकार किया। इससे पता चलता है कि उसके बयान को बदनाम करने के लिए प्रति परीक्षा में कोई विसंगति नहीं पाई जा सकी। घटना से पहले, पीड़ित और अपीलार्थी एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रति परीक्षा में पीड़ित को झूठा फंसाने के लिए

कोई गुप्त मकसद नहीं बताया गया। घायलों द्वारा बताए गए तथ्यों को प्रति परीक्षा में चुनौती नहीं दी गई। अभि.सा.-5 (उमेश) जिसने सुंदर को अस्पताल पहुंचाया, ने पीड़ित के बयान की पूरी तरह पुष्टि की और अपीलार्थी को शरीर के विभिन्न अंगों पर चाकू से चोट पहुंचाने में विशेष भूमिका बताई। अपीलार्थी घायल करने के बाद मौके से भाग गया। सुंदर बेहोश हो गया और गिर पड़ा। घटना के समय परिवादी के साथ मौजूद अभि.सा.-4 (बबली) ने भी इसी तरह की गवाही दी और घटना का विस्तृत विवरण दिया और विशेष रूप से यह बयान दिया कि प्रीतम चौहान ने सुंदर पर चाकू से वार किया और उसके गाल, हाथ और पैर पर चोटें पहुंचाईं। लंबी प्रति परीक्षा के बावजूद, उसकी गवाही तथ्यों के आधार पर नहीं व्यर्थ जा सकी। पीड़ित के भाई अभि.सा.-9 (राम) को उसके माता-पिता का फोन आया और बताया गया कि सुंदर को अभियुक्त ने चाकू मार दिया है। उसने मामले की सूचना सरिता विहार थाने में दी। पीड़ित को लगी चोटें दुर्घटनावश या खुद से नहीं लगी थीं। घायल गवाह की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया गया है और घायल की गवाही पर अविश्वास करने का कोई अच्छा आधार मौजूद नहीं है। 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य' (2011) 4 एससीसी 324 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना:

> *"एक घायल गवाह के साक्ष्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक मुहरबंद गवाह है, इसलिए उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उसके बयान को*

आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह असंभव है कि उसने किसी और को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को छोड़ दिया हो। एक घायल गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है क्योंकि उसे घटना के समय और स्थान पर चोटें लगी थीं और यह उसकी गवाही को समर्थन देता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इस प्रकार, एक घायल गवाह की गवाही को कानून में एक विशेष दर्जा दिया जाता है। गवाह अपने वास्तविक हमलावर को केवल अपराध के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए दंडित किए बिना नहीं छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार, घायल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को बड़े विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर अस्वीकार करने का आधार न हो।"

5. 'अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य', (2010) 10 एससीसी 259 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा:

" घटना के दौरान स्वयं घायल हुए एक गवाह के साक्ष्य के साथ जोड़े जाने वाले वजन के सवाल पर इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई है। "घायल गवाह को बदनाम करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है।" [रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, मलखान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, बोन्क्या बनाम महाराष्ट्र राज्य, भाग सिंह, मोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (एस. सी. सी पी. 606ख-ग), दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, अन्नारेड्डी सांबशिव रेड्डी

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य।]

6. नेत्र संबंधी और चिकित्सीय साक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। अभि.सा.-1 (डॉ. सुधा कनौजिया), मु.अधि.चि., होली फैमिली अस्पताल ने दिनांक 18.05.1999 को एमएलसी (एक्स. अभि.सा.-1/क) के जरिए सुंदर की जांच की और शरीर पर कई कटे-फटे घाव देखे। अभि.सा.-2 (डॉ. नरेश चंद्र गौड़), हड्डी रोग सर्जन ने बाएं अग्रबाहु के पीछे दो घाव पाए, जो मध्य 1/3 पर 9 X 5 सेमी और बाएं अग्रबाहु के 1/3 भाग पर 6 X 4 सेमी के थे और बाएं अग्रबाहु के पिछले हिस्से और अधिकांश मांसपेशियों को गहरा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। दाहिने हाथ की हथेली पर 4 X 1 सेमी का एक और घाव पाया गया। मरीज का दिनांक 19.05.1999 को ऑपरेशन हुआ और वह दिनांक 24.05.1999 तक इलाज के लिए अस्पताल में रहा। 313 के बयान में, अपीलार्थी ने उसके खिलाफ साबित की गई आपत्तिजनक परिस्थितियों के लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। अपराध के हथियार की बरामदगी न होना घातक नहीं है क्योंकि चोटें 'तेज हथियार' से पहुंचाई गई थीं। पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ही चोटों का लेखक था। निष्कर्ष साक्ष्य की उचित प्रशंसा पर आधारित हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष, हालांकि, भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध का कमीशन स्थापित नहीं कर सका। पीड़ित को लगी चोटें महत्वपूर्ण अंगों पर

नहीं थीं। अपराध का हथियार एक साधारण सब्जी काटने वाला चाकू था। पीड़ित को चोट पहुंचाने के लिए कोई पूर्व योजना या विचार नहीं किया गया था। घटना से पहले, पीड़ित और अपीलार्थी एक-दूसरे से परिचित थे और बिना किसी टकराव के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे को बचाने में परिवादी के हस्तक्षेप से वह नाराज हो गया और अचानक गुस्से में आकर उसने अपने घर से चाकू लाकर पीड़ित को घायल कर दिया। भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि इसके निष्पादन में कोई प्रत्यक्ष कार्य के साथ-साथ कोई इरादा भी मौजूद हो। इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, कार्य के समय अभियुक्त द्वारा व्यक्त की गई मंशा, अपराध करने का मकसद, चोटों की प्रकृति और आकार, चोट पहुंचाने के लिए चुने गए पीड़ित के शरीर के अंग और वार या वार की गंभीरता ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ध्यान में रखा जा सकता है कि किसी विशेष मामले में अभियुक्त को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। यह धारा तब भी लागू हो सकती है जब कोई चोट न पहुंचाई गई हो। चोट पहुंचाना केवल एक गंभीर परिस्थिति है। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य, इसके परिणाम के बावजूद, भा.दं.सं. की धारा 307 में वर्णित इरादे या ज्ञान और परिस्थितियों के साथ किया गया था।

7. जाहिरा तौर पर, अपीलार्थी का पीड़ित को मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था या उसे पता था कि उसके द्वारा पहुंचाई गई चोटें घातक हो सकती हैं। फिर भी अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि अपीलार्थी ने धारदार हथियार से स्वेच्छा से चोटें पहुंचाई थीं और इस प्रकार उसे भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। दोषसिद्धि को भा.दं.सं. की धारा 307 से भा.दं.सं. की धारा 326 में बदल दिया गया है।

8. अपीलार्थी को तीन साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपीलार्थी ने लगभग 14 वर्षों तक वाद/अपील की पीड़ा झेली है। वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसे दो बच्चों की देखभाल करनी है, लेकिन यह अपने आप में उसे परिवीक्षा का लाभ देने का आधार नहीं है। सुंदर सिंह के शरीर पर कई चोटें आईं और वह होली फैमिली अस्पताल में 5/6 दिनों तक भर्ती रहा और उसका ऑपरेशन हुआ। धारदार हथियार से लगी चोटें 'गंभीर' थीं। मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त पाई गईं और उन्हें ठीक किया जाना था। पीड़ित पर जानबूझकर चाकू से कई वार किए गए, जिसने अच्छे व्यवहार में अपीलार्थी के हाथों पिटाई से एक बच्चे को बचाने का प्रयास किया था। हजारा सिंह बनाम राज कुमार और अन्य 2013 आप.वि.पत्रि. 2299 में उच्चतम न्यायालय ने कहा:

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि केवल लंबे समय से लंबित वाद के आधार पर सजा में कमी उचित नहीं है।

इसमें आगे कहा गया:

".... श्री जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जुर्माना बढ़ा दिया है और घायलों को मुआवजा दिया है, इसलिए हमें सजा नहीं बढ़ानी चाहिए। इस तरह की दलील को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं, तो गंभीर अपराध करें, भारी जुर्माना भरने की पेशकश करें और कानून के शिकंजे से बचें। धन की ताकत को अदालती प्रक्रियाओं को डराने के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।"

9. *अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य* (2013) 6 एससीसी 770 में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित को नहीं भूलना चाहिए और दं.प्र.सं. की धारा 357 को हर मामले में मुआवजा देने के सवाल पर विचार करने के लिए न्यायालय पर अनिवार्य कर्तव्य लागू करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा के आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत मूल सजा दो साल होगी। अपीलार्थी को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा और उचित नोटिस के बाद पीड़ित/परिवादी को जारी करने के लिए 15 दिनों के भीतर इसे विचारण न्यायालय में जमा करना होगा।

10. अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने और सजा की शेष अवधि पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, उसे दिनांक 06.11.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। रजिस्ट्री विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत प्रेषित करेगी।

11. अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

24 अक्टूबर, 2013/एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*